रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935
No. 2180] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली डिवीजन)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2799 (अ).-जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 1208 (अ) दिनांक 14.05.2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था ।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है जो दिनांक 26.10.2012 की अधिसूचना का.आ. 2555 (अ) के तहत अधिसूचित किया गया था और दिनांक 18.07.2013 की का.आ. 2190 (अ) के तहत संशोधित किया गया था ।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधनः

क्र.सं.	पैरा/खंड/तालिका	दि.मु.यो.-2021 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 26.10.2012 के का.आ. 2555 (अ) के तहत अधिसूचित और दिनांक 18.07.2013 के का.आ. 2190 (अ) के तहत संशोधित किए गए हैं।
1	2	3
1.	पैरा 3.2 शहरी विस्तार	निम्नलिखित विषय-वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है: "दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिन मोटलों (मोटलों का प्रस्ताव, जो जांच प्रक्रिया में था अथवा मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई थी अथवा जिसे दि.वि.प्रा. अथवा दि.न.नि. से फाइलों में अनुमोदित किया जा चुका है अथवा दिनांक 07.02.2007 को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से जिसे स्वीकार नहीं किया गया, भी स्वीकृति हेतु योग्य है, सहित) का प्रस्ताव किया गया है और जो व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर और अन्य उपयोग जोनों में स्थित है, को तालिका 5.4 और अध्याय 17.0 के खंड में उल्लिखित विकास नियंत्रण शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी।"
2.	तालिका 5.4 विकास नियंत्रण व्यावसायिक केन्द्र	(see table below)

उपयोग/उपयोग परिसर	अधिकतम कवरेज (%)**	एफ.ए.आर	ऊँचाई (मीटर)	पार्किंग मानक ई सीएस तल क्षेत्रफल का प्रति 100 वर्गमीटर की दर से	अन्य नियंत्रण
1	2	3	4	5	6
निम्नलिखित विषय-वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है: च) दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिन मोटलों (मोटलों का प्रस्ताव, जो जांच प्रक्रिया में था अथवा मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई थी अथवा जिसे दि.वि.प्रा. अथवा दि.न.नि. से फाइलों में अनुमोदित किया जा चुका है अथवा दिनांक 07.02.2007 को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, भी स्वीकृति हेतु योग्य है, सहित) का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है और जो व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा क्षेत्रीय विकास	40	175^	एन आर*		

		योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर और अन्य उपयोग जोनों में स्थित है। शीर्ष "नोट" के अंतर्गत निम्नलिखित विषय-वस्तु जोड़ी जाती है: ****यदि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का ऊँचाई से संबंधित कोई प्रतिबंध मौजूद हो तो स्थल (स्थलों) पर बढ़ाए गए एफएआर के उपयोग हेतु भू कवरेज 40 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत तक अनुमेय होगा।**
3.	उप-खंड 8(2) के अन्तर्गत टिप्पणियां	निम्नलिखित विषय-वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है: (vi) दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिन मोटलों (मोटलों का प्रस्ताव, जो जांच प्रक्रिया में था अथवा मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई अथवा जिसे दि.वि.प्रा. अथवा दि.न.नि. से फाइलों में अनुमोदित किया जा चुका है अथवा दिनांक 07.02.2007 को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से जिसे स्वीकार् नहीं किया गया है, भी स्वीकृति हेतु योग्य है, सहित) का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है और जो व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर और अन्य उपयोग जोनों (जो दि.मु.यो-2021 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रीय योजनाओं की शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 16.6.1995 की अधिसूचना के अंतर्गत बनाए गए है, जिनका 07.02.2007 से पहले ग्रामीण उपयोग जोन/हरित पट्टी उपयोग था) में स्थित है, को तालिका 5.4 में उल्लिखित विकास नियंत्रण शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी।

[सं. के-20013/10/2007-डीडीआई(खंड.4)]

अभिजीत बक्शी, उप सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2799 (E).— In supersession of Notification S.O. 2759(E) dated 13.09.2013, the following is substituted under "Modifications" mentioned in para 4 of the above said notification:

Modifications:

S. No.	Para/Clause/ Table	**Modifications to the MPD- 2021** notified vide Notification S.O. 2555(E) dated 26.10.2012 and amended vide S.O. 2190(E) dated 18.07.2013.
1	2	3
1.	Para 3.2 Urban Extensions	Following text is substituted: "Motels with sanctioned plans as on 07-02-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to ***(including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction)*** and located in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones, shall be permissible subject to Development Control conditions mentioned in 'Table 5.4' and Clause in Chapter 17.0."

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Table 5.4 Development Controls - Commercial Centers</td>
<td>
<table>
<tr><th>U se/use premises</th><th>Maximum Coverage (%)**</th><th>FAR</th><th>Height (mts)</th><th>Parking Standards ECS/100 Sqm. of floor area</th><th>Other Controls</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Following Text is substituted:

f) M otel (with sanctioned plans as on 07.02.2007 or whose proposal of Motel has been acceded to (including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction), which are in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones)</td><td>40</td><td>175^</td><td>NR*</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Following Text is added under the head "Note":
** Ground Coverage up to 50% instead of 40% will be permissible to achieve the enhanced FAR at site(s), if their exist any height restriction from Airport Authority of India.
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Notes under Sub-Clause 8 (2)</td>
<td>Following text is substituted:

(vi) Motels with approved plans as on 07-02-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to (including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction) and located in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones (which have been established under MoUD Notification dated 16-06-1995 of the notified Zonal Development Plans under MPD-2021 which were having Rural Use Zone/Green Belt prior to 07-02-2007) shall be permissible subject to development control conditions mentioned in Table 5.4.</td>
</tr>
</table>

[No. K-20013/10/2007-DDI (Vol.4)]

ABHIJIT BAKSHI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.